किस्म मुकदमा आदेश 9 नियम 4 सीपीसी अनवान– लक्ष्मणपुरी के वारिसान बनाम छोगा के वारिसान

मु.न. 133/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मेंजारी हुए
18.10.2023	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण के वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित। न्यायालय समय में विप्रार्थीगण को पृथक–पृथक तीन–तीन आवाजें दिलवाई गई परन्तु उनमें से किसी के उपस्थित होने से विप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थीगण के वकील ने प्रार्थना पत्र मय जमाबंदी पेश कर निवेदन किया की विप्रार्थी संख्या 2/3 सुबराती पुत्री पौलाराम फौत हो चुकी है एवं जमाबंदी में सुबराती खातेदार नहीं है। अतः उनका नाम आवेदन हटाया जावे। हमने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र क संलग्न जमांबदी का अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट है कि विप्रार्थी संख्या 2/3 सुबराती पुत्री पौलाराम खातेदार नहीं होने से उसका नाम हटाया आवेदन से हटाया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः सुबराती का नाम प्रकरण से लाल स्याही का नोट लगा कर हटाया जाता है। प्रार्थीगण के वकील ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण की कब्जा काश्त की भूमि खसरा संख्या 482 रकबा 127 बीघा 15 विस्वा ग्राम खण्डप में भू प्रबंध से पूर्व अवस्थित थी। सेटलमेंट के बाद नये खसरा संख्या 371, 450, 450/1710 व 428 बने। जिसमें खसरा संख्या 428 गै.मु ढाणी है एवं उक्त खसरे में प्रार्थीगण की पक्की रहवासीय ढाणीयां बनी हुई है। जिस पर प्रार्थीगण का कब्जाकाश्त कायम है। नये सेटलमेंट में भू प्रबंध कर्मचारियों की त्रुटीवश प्रतीवादीगण छोगा व उसके भाई पोला का नाम दर्ज हो गया। जिस पर प्रार्थीगण द्वारा उक्त त्रुटी को सुधारने हेतु प्रार्थना पत्र तहसीलदार के समक्ष पेश किया, जिस पर दिनांक 09.11.1966 हो तहसीलदार सिवाना ने विवादित भूमि में प्रार्थीगण का नाम दर्ज करने हेतु आदेश पारित किया गया। तथा एक राजस्व वाद संख्या 106/66 प्रस्तुत हुआ जिसमें छोगाराम व उसके भाई पोलाराम ने राजीनामा पेश किया कि की उक्त भूमि प्रार्थीगण के नाम कि जाये तो हमे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन रेफरेंस होने के कारण उक्त आदेश की पालना नहीं हो सकी जिस पर प्रार्थी द्वारा सन् 1985 में वाद पेश किया गया। दौराने विचारण वाद में 20.01.2007 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 14 नियम 5 सीपीसी के निरस्त हो जाने से जिसकी निगरानी माननीय राजस्व मण्डल अजमेर प्रस्तुत की गई जो निगरानी संख्या 961/2007 बअनवान लच्छापुरी के कायम मुकाम रूपापुरी बनाम छोगा के कायम मुकाम जवेरीलाल की गई जिसमें मूल वाद संख्या 103/1985 की कार्यवाही स्थगित कर मूल प्रकरण की पत्रावली तलबी की गई जो आदेशिका मय तलबी आदेश पत्रावली में मोजुद है। तथा मूल वाद की आदेशिका दिनांक 08.03.2007 में उक्त स्थगन आदेश का हवाला है। उक्त पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में दिनांक 18.11.201[illegible] विचाराधीन थी लेकिन इस न्यायालय द्वारा मूल प्रकरण की पत्राव[illegible] वादीगण व उनके वकील की अनुपस्थिति में अदम हाजिरी अदम पैरवी में [illegible] की गयी जिस पर प्रार्थी ने आदेश 9 नियम 4 सीपीसी [illegible] का प्रार्थना पत्र पेश किया है जो स्वीकार फरमाया जाकर वाद को पुनः बरामद किया जावे। हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन तथा मूल पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र के संलग्न माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा जारी आदेशिकाओं की छायाप्रति का अवलोकन किया गया। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निगरानी याचिका 961/2007 बअनवान लक्ष्मणपुरी के वारिसान बनाम छोगा के	

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) सिवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2023.10.31 10:07:19 IST
Reason: SelfAttested

वारिसान में पारित निर्णय दिनांक 13.01.2023 का अवलोकन किया। इससे स्पष्ट है की उक्त प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में दिनांक 13.01.2023 तक विचाराधीन था। एवं उक्त प्रकरण पर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा कार्यवाही स्थगित रखने हेतु आदेशित किया गया था लेकिन दिनांक 18.11.2019 को उक्त प्रकरण वादीगण एवं उनके वकील की अनुपस्थिति में अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारित कर दिया था। लेकिन मूल पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा तलब की जा चुकी थी। अर्थात दिनांक 18.11.2019 को वादीगण की उपस्थिति इस न्यायालय में आवश्यक नहीं थी व वादीगण की अनुपस्थिति का कारण सदभावी रहा है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मूल वाद प्रकरण में पारित आदेश 18.11.2019 मंसुख किया जाता है एवं वाद प्रकरण पुनः उसी स्टेज पर अर्थात दिनांक 18.11.2019 की स्थिति अनुसार रेस्टोर किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के संलग्न हो।

(दिनेश बिश्नोई)
सहायक कलक्टर
(S.D.O) सिवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2023.10.31 10:07:19 IST
Reason: SelfAttested